



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल
राजस्व अपील क्र. --/2012

1) लियाकत खां पुत्र श्री कालेखां आयु 50 वर्ष,
धन्धा कृषि जाति मुसलमान निवासी ग्राम गोरिया
तहसील बरेली जिला रायसेन - - - - - अपीलार्थी

(2) ~~विस्द्व~~ ~~कृष्णाबाई~~ ~~पत्नी~~ ~~हरीराम~~ ~~आयु~~ ~~35~~ ~~वर्ष~~ ~~जाति~~ ~~कोली~~ ~~धन्धा~~ ~~मजदूरी~~ ~~निवासी~~ ~~ग्राम~~ ~~सेमरोकला~~ ~~तहसील~~ ~~गोहरगंज~~ ~~जिला~~ ~~रायसेन~~
विस्द्व

1- कृष्णाबाई पत्नी हरीराम आयु 35 वर्ष
जाति कोली धन्धा मजदूरी निवासी ग्राम
सेमरोकला तहसील गोहरगंज जिला रायसेन

2- म090 शासन - - - - - प्रति अपीलार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म090 भू0रा0 संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से अधिनस्थ न्यायालय अमर
आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल में पारित आदेश दिनांक
15-10-12 द्वारा अमर आयुक्त 05 06 कृष्णाबाई - विस्द्व -
लियाकत खां से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक 18-12-12
प्रमाणित प्रति दिनांक 20-12-12 उचित समयावधि में ठोस तथ्यो
एवं विधिक आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है ।

नमः

R-464-II/13

शा.प.नं. 18/11/13
को.नं. 20/10/12
प्रति अपीलार्थीगण
विस्द्व

18/11/13

24-1-13

24.9.2015

DD

आवेदन की ओर से सूचना
उपरोक्त कोई भी उपस्थित नहीं। आवेदन
की ओर से श्री आ० स्न० गौरी अमिताभ
उपस्थित। श्री सुनता लाल उप प्रबन्ध से
इभाष पर बात हुई। अन्त में इन्कार
किया गया। तीन बार पुकार सुनाई
गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं।
अतः प्रकृत अदम परवी में विस्त
की जाती है।

24/9/15

अध्यक्ष

संकेत-763-फॉर्म-26-2-07-20,000.

